न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–187/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00126)

1. जगदीश पुत्र स्व. श्री नारायण,
2. राधेश्याम पुत्र रामनाथ,
3. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. घासीराम,
4. मुकेश शर्मा पुत्र स्व. घासीराम,
5. सत्यनारायण पुत्र स्व. घासीराम,
6. ओमप्रकाश,
7. बाबूलाल पुत्रान स्व. मोहन लाल,
8. मु. गुलाबदेवी बेवा मोहनलाल, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासीगण ग्राम भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. बिरदीचन्द पुत्र मोहरू,
2. लादूराम पुत्र जगन्नाथ,
3. छीतरमल पुत्र रामनारायण,
4. हरिनारायण पुत्र रामनारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासीगण ग्राम भाटावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 12.12.2015 (प्रकरण संख्या 49/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 187/1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा (0.93 हैक्टयर) अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम मानपुरा भाटावाला में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 303 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.06 एवं खसरा नम्बर 304/497 रकबा 0.12 हैक्टयर बनाये गये है तथा अपीलान्ट की उक्त भूमि से लगवा रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 188 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा (0.70 हैक्टयर) जिसके हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0. 08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304/522 रकबा 0.08 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.70 हैक्टयर है, दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही रेस्पोडेन्ट ने भू प्रबन्ध कर्मचारीयों से साज करके अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 0.75 हैक्टयर में से 0.08 हैक्टयर भूमि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का नया बट्टा नम्बर 303/522 अवैध तरीके से डलवाकर अपने नाम अंकित करवा लिया, जो मिसल सख्या 48/91 दिनांक 30.01.1991 में पारित आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए करवाया है जबकि खसरा नम्बर 303/522 का अंकन राजस्व रिकार्ड हाल नक्शाट्रेस में नही है, खसरा नम्बर 304/522 रकबा 0.08 हैक्टयर पूर्व से अपीलान्ट की भूमि में गलत तरमीम किया है चूँकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स मध्य सरकारी रोड़ निकाली हुई है तथा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 188 सम्पूर्ण सरकार रोड़ अवाप्त हो चुकी है एवं अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 187 में से 0.01 हैक्टयर भूमि सरकारी रोड़ में ली जा चुकी है जिससे रेस्पोडेन्ट की भूमि अपीलान्ट की भूमि की ओर नक्शाट्रेस में गलत दर्शायी गयी है जिसे खसरा नम्बर 304/522 रकबा 0.08 हैक्टयर दर्ज है। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 303/522 जो गलत बनाया गया था को भी खसरा नम्बर 304/522 मे मर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिया है जो एक इबिनिशियो वॉयड होने क कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने उक्त वादग्रस्त भूमि की दुरूस्ती व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में एक नियमित वाद संख्या 101/2011 व टी.आई संख्या 85/11 रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध कर रखी है, जो वर्तमान में साक्ष्य वादी हेतु नियत है तथा रेस्पोडेन्ट ने बदनियति से उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत धारा 136 के तहत अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि को अपने नाम करवाने का कुत्सित प्रयास किया है तथा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही गुप्त रूप से राजस्व लोक अदालत में बिना सरकार के जवाब पेश हुए बिना ही साजिशी तौर पर अवैध निर्णय पारित करवा लिया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमित वाद संख्या 101/11 में अपीलाधीन आदेश की सत्य प्रतिलिपि बतौर साक्ष्य पेश करने पर दिनांक 09.05.2017 को अपीलान्ट को हुई जिस पर अपीलान्ट्स ने उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 10.05.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 11.05.17 को आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 303/522 रकबा 0.08 हैक्टयर अपीलान्ट की खातेदारी स्वामित्व व कब्जे की भूमि में से घटाकर रेस्पोडेन्ट ने सेटलमेन्ट कर्मचरियो से साजिश करके मिसल संख्या 48/91 में पारित आदेश दिनांक 31.01.1991 के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खसरा नम्बर 303/522 गैरकानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट पूर्वहक अधिकारी मौहरू के नाम अवैध रूप से खातेदारी अंकन करवा दिया जिसका इन्द्राज ग्राम भाटावाला के नक्शाट्रेस में कही नही किया गया, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद में कार्यवाही के समय रेस्पोडेन्ट्स ने गुप्त रूप से अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे है तथा ऐबीनिशियों वॉयड है। उन्होने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के खातेदार अपीलान्ट को भी न तो पक्षकार बनाया, न ही उन्हे सुनवाई का अवसर दिया तथा अवैध आदेश को बतौर साक्ष्य नियमित वाद में पेश किया जिस पर अपीलान्ट को जानकारी होने पर अपील पेश करना लाजिमी हुआ रेस्पोडेन्ट ने दौराने दावा अधीनस्थ न्यायालय से एक फर्जकारी तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करवाकर साक्ष्य उत्पन्न किया है जो किसी भी कानूनी दृष्टि में वैध नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश बिना सरकार के जवाब पेश किये पारित किया गया है जिससे भी अपीलाधीन आदेश अवैध है तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी की खातेदारी अंकन को बिना सबूत साक्ष्य के नही हटाया जा सकता है, पैरोकार सरकार द्वारा यह कथन किया गया कि मुताबिक नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 303/522 का कोई खेत नही है इसके स्थान पर खसरा नम्बर 304/522 का खेत है जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 303/522 के स्थान पर 304/522 किया जाना उचित होगा जबकि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक राजस्व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 304/522 रकबा 0.08 पूर्व में ही अंकित है ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 303/522 रकबा 0.08 हैक्टयर को पूर्णतया हजफ किया जाना न्यायोचित था जिसके लिऐ अपीलान्ट ने अपने दावे में अनुतोष मांगा है लेकिन अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 303/522 रकबा 0.08 हैक्टयर के स्थान पर खसरा नम्बर 304/522 रकबा 0.08 हैक्टयर किये जाने के आदेश दिये है जो स्वयं मे अस्पष्ट एवं अवांछनीय आदेश है जो किसी भी प्रकार से अस्तित्व में रहने योग्य नही है बल्कि अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित कथन अधूरे, अस्पष्ट, भ्रामक, आधारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा कानून व नियम के अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि के अभिलेख में हुई अशुद्धी को शुद्ध करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर नियमानुसार आदेश दिनांक 12.12.2015 से स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थे और ना ही अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट के स्वयं कथनानुसार वादग्रस्त भूमि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के सम्बन्ध में घोषाणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध होने का कथन किया है, ऐसी अवस्था में उक्त सभी कार्यवाहीयों को वाद में ही चुनौती दी जा सकती है, ना कि अपील के माध्यम से अपीलान्ट के अधिकार तय किये जा सकते है तथा अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का व अपीलाधीन आदेश की जानकारी रही है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट को जब अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नही है तो अपील का मियाद में प्रस्तुत किये जाने अथवा नही किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी खारिज योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्ष के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार है किन्तु अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट प्रकरण में अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम तो वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 12.07.11 को जारी किया गया है जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2016 द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म भी किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 को जारी किया गया है जो कि स्पटतया स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दौरान जारी किया गया है जिसे कानूनी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है, द्वितीय जब वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्ष के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार थे लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के परीक्षण करने के उपरान्त भी उन्हे सुमोटो पक्षकार संयोजित नही किया और अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 किया है जिससे अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्ये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही हो सके एवं अपीलान्ट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रहे है,

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर